DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 17th/18th September, 1981

No. EP-EI-TK-81/33.—In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 4 and section 5 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953) and all other powers enabling him in this behalf, and in supersession of all the previous notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the village or group of villages specified in column 2 of the Schedule given below to be Sabha Area and establishes a Gram Panchayat for this Sabha Area by the name specified against in column 5 of the said schedule, which shall consist of such number of Panches including Sarpanch, as is specified against the Gram Panchayat in column 6 thereof out of which the number of Panches belonging to the Scheduled Castes shall be mentioned in column 7 of the said Schedule :—

Serial No.	Name(s) of village(s) constituting Sabha Area	Tehsil	District	Name of Gram Panchayat	No. of Panches including Sarpanch	No. of Panches belonging to Scheduled Castes
1	2	3	4	5	6	7
1	Hansala	Thanesar	Kurukshetra	Hansala	5	1
2	Gamoor Kheri	Do	Do	Gamoor Kheri	5	1

L. D. KATARIA,

Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayat Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 18 अगस्त, 1981

क्रमांक 854-ब-(I)-81/29295.—श्री दरयाव सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, गांव मोखरा खास, तहसील मेहम, जिला रोहतक की दिनांक 16 दिसम्बर, 1980 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दरयाव सिंह को मुज्जिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 421-ज-(II)-74/20904, दिनांक 21 जून, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भरपो के नाम खरीफ, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1370-ज-(II)-81/29299.—श्री घसीटा सिंह, पुत्र श्री नन्द सिंह, गांव थाना, तहसील गूहला, जिला कुरुक्षेत्र की दिनांक 17 सितम्बर, 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री घसीटा सिंह की मुज्जिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 44845-जे० एन०-III-65/9385, दिनांक 21 मई, 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गयी थी, अब उसकी विधवा श्रीमती जसवन्त कौर के नाम रबी, 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।